

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ
रिट सी संख्या - 6505 वर्ष 2024

मेसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, राजस्थान, द्वारा अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता श्री दीपक गुप्ता

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत), सिविल सचिवालय,
लखनऊ और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रशांत चौरसिया

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, निशांत शुक्ला

सह एक अन्य सम्बद्ध वाद

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया
माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

1. दोनों याचिकाएँ इस एक साझा आदेश द्वारा एक साथ निस्तारित की जा रही हैं।
2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला को सुना गया।
3. याचिकाकर्ता द्वारा रिट-सी संख्या-6505 वर्ष 2024 दिनांक 18.02.2021 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को काली सूची की श्रेणी में डाल दिया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता द्वारा रिट-सी संख्या-6197 वर्ष 2026 यह कहते हुए दाखिल की गई है कि विपक्षीगण को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से न रोकें।

4. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को विपक्षीगण द्वारा कोई अनुबंध प्रदान किया गया था, किंतु तत्पश्चात एक आदेश पारित करके याचिकाकर्ता को काली सूची की श्रेणी में डाल दिया गया, दिनांक 18.02.2021 के आदेश में काली सूची में डालने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, इस प्रकार काली सूची का यह आदेश 18.02.2021 से निरंतर चला आ रहा है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का स्पष्ट तर्क यह है कि काली सूची का आदेश अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता, जैसा कि आक्षेपित आदेश के माध्यम से किया गया है, और यह स्पष्ट रूप से तर्कहीन है तथा याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

6. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह आदेश मुख्य रूप से इस आधार पर पारित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया था और स्मरण-पत्रों के बावजूद उस कार्य को पूरा नहीं किया जिसके लिए याचिकाकर्ता को अनुबंध प्रदान किया गया था। संविदा/करार के अनुच्छेद 2.1 का भी संदर्भ लिया गया था जो विपक्षीगण को परिसमापित हर्जाना/निर्धारित हर्जाना की मांग करने का अधिकार देता है। उक्त आदेश पारित करके याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी (परफॉर्मेंस बैंक गारंटी) को संलग्न कर भुना लिया गया और साथ ही याचिकाकर्ता को काली सूची में डाले गए ठेकेदारों की श्रेणी में रख दिया गया।

7. आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे कठोर आदेश को आरोपित करने वाले आदेश में कोई तर्क दर्ज नहीं किया गया है, जो अनुबंध के निष्पादन न किए जाने के आरोपों के संबंध में प्रथम दृष्टया तर्कविहीन है, जिसके लिए निष्पादन बैंक गारंटी भी भुना ली गई थी।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय वेटइंडिया फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; 2020 आईएनएससी 639 का संदर्भ प्रस्तुत किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम चीफ जनरल मैनेजर, वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य; (2014) 14 एससीसी 731 पर विचार करने का अवसर मिला था, जहाँ पाँच वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डालने के आदेश को तर्कहीन पाया गया था।

9. वर्तमान प्रकरण में काली सूची में डालने का आदेश वर्ष 2021 में पारित किया गया था और आज तक जारी है। स्पष्ट रूप से बिना अवधि का खुलासा किए और अनिश्चित काल तक जारी रहने वाला यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, वह भी आदेश में उल्लिखित आरोपों के आधार पर।

10. इसके दृष्टिगत काली सूची में डालने के आदेश को अनुपातहीन माना जाता है, अतः दिनांक 18.02.2021 का आक्षेपित आदेश, जहाँ तक वह याचिकाकर्ता को काली सूची में डालने से संबंधित है, रद्द किया जाता है।

11. तदनुसार रिट-सी संख्या-6505 वर्ष 2024 **स्वीकार** की जाती है।

12. रिट-सी संख्या-6197 वर्ष 2026 इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि यदि याचिकाकर्ता विधि के अनुसार पात्र है, तो वह निविदा बोली प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकारी होगा।

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय) (न्यायमूर्ति पंकज भाटिया)

25 जून, 2026

निशांत